

4/3/21

पञ्जावली पेश डुरी उममपक्ष वफुलाय उपस्थित

वकील पार्श्व ने पार्श्व पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पार्श्वीय एवं अपार्श्वीय सं. 1 के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने से प्रकृत पार्श्वीयों की थोर से नोट प्रेष विधे जाने से निस्तारित करने निवेदन किया अतः पार्श्वीय द्वारा प्रस्तुत पार्श्वीय पत्र अंतर्गत धारा 82 पंचायती राज अधिनियम 1994 डपी स्ट्रेज पर खारीज किया जाता है। पञ्जावली के लिये शुभारंभ के लिए दाखिल हुआ है।

not present  
Chaudhary  
वकील पार्श्वीय

21/1/23

वकील पार्श्वीय



(नरेश बुनकर)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बांसवाड़ा